न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 181 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 286

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
ग्राम पंचायत पचपदरा जरिए सरपंच		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री करणसिंह सौंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार उपस्थित

आदेश

दिनांक 15/7/2024

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पचपदरा की मूल खसरा संख्या 685 से विभक्त होकर बने खसरा संख्या 927 / 685, 928 / 685, 931 / 685, 936 / 685, 937 / 685,2345 / 685,1377 / 685,1359 / 697 कायम हुए तथा खसरा संख्या 697 भी अवस्थित है। जिसमें खसरा संख्या 1359 / 697,936 / 685 व 927 / 685 ग्राम पंचायत पचपदरा के खाते में दर्ज है तथा शेष खसरान राज.सरकार के खाते में दर्ज है। विवादित आराजी की लटढा नक्शा में तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है,जिसके कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर नजरी नक्शा परिशिष्ट अ बरंग लाल मुताबिक तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया। विप्रार्थी की ओर से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पेश की गई।

3.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के त[illegible]ातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम पचपदरा की मूल खसरा संख्या 685 से विभक्त हो[illegible] खसरा संख्या 927 / 685, 928 / 685, 931 / 685, 936 / 685, 937 / 685, 2345 / 685, 1377 / 685, 1359 / 697 कायम हुए तथा खसरा संख्या 697 भी अवस्थित है। खसरा संख्या 1359 / 697, 936 / 685 व 927 / 685 ग्राम पंचायत पचपदरा के खाते में दर्ज है,जिसकी किस्म गै.मु.आबादी है। तथा शेष खसरान राज.सरकार के खाते में दर्ज है। प्रार्थी के खसरान की मौका स्थिति के अनुरूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:58:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

ही राजस्व रेकर्ड में तरमीम की जानी चाहिए थी,लेकिन विवादित आराजी की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत होने के कारण मौके पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई है,जबकि मौका स्थिति के अनुरूप तरमीम दुरुस्त की जाती है,तो रेकर्ड एवं मौका स्थिति में एकरूपता आयेगी। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के संलग्न नक्शा मुताबिक तरमीम दुरुस्ती की जाती है,तो आपति नहीं है।

4.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित आराजी की मौका स्थिति के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है,जिसकें कारण मौका एवं रेकर्ड स्थिति में भिन्नता है। प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरुस्ती की जाती है,तो आपति नहीं है।

5.हमनें उभयपक्ष बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि हल्का पटवारी पचपदरा द्वारा जारी वर्तमान नक्शा ट्रेस प्रमाणित प्रति एवं प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती नक्शा परिशिष्ट ब अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान लटढा नक्शा में तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है। जिसे विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि विवादित आराजी के राजस्व लटढा नक्शा ट्रेस में दर्ज तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है तथा प्रार्थी के खसरान का कब्जा मौके पर प्रस्तावित नक्शा मुताबिक ही है। तहसीलदार पचपदरा द्वारा विवादित आराजी की तरमीम दुरूस्ती करने की अनुशंषा की गई है तथा रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी की तरमीम गलत हो रखी है,जो तरमीम दुरूस्ती योग्य है। प्रार्थी ने बखूबी अपने आवेदन पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित भी किया है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

06.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–पचपदरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 685 ,2721/685 , 697 , 929/685,1359/697,936/685 भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार पचपदरा की तथ्यात्मक जांच–रिपोर्ट पत्रांक 1958/02.7.2024 के संलग्न नक्शा परिशिष्ट ब [illegible] पीला मुताबिक तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त नक्शा [illegible] भिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार [illegible] में नियमानुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:38:40 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कु[illegible])
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 15.7.24 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा